स्थापना वर्ष – 2009

महामाया राजकीय महाविद्यालय

महोना, लखनऊ, उ०प्र०।

(सहयुक्त : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ)

Mahamaya Government Degree College

Mahona, Lucknow (U.P.)

Email: mmgdcollegemahona@gmail.com
Website: https://mgdcmahona.in

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

विवरणिका एवं प्रवेश आवेदन–पत्र

Prospectus & Application Form

सत्र : 2024-25

Registration Fee: Rs. 100/-

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

लखनऊ जनपद के ग्रामीण अंचल के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2009 में महामाया राजकीय महाविद्यालय, महोना, लखनऊ की स्थापना गई। यह महाविद्यालय, लखनऊ के बख्शी का तालाब तहसील में इटौंजा से देवा शरीफ के सम्पर्क मार्ग पर स्थित ग्राम भिखरीपुर में 1.65 हैक्टेयर भूमि पर स्थापित है। लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्तता प्राप्त इस महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर छात्र/छात्राओं के शिक्षण की व्यवस्था है। महाविद्यालय में कला संकाय के स्नातक स्तर पर हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल विषय, विज्ञान संकाय स्तर पर जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, एवं वाणिज्य संकाय स्तर पर वाणिज्य के अनिवार्य व वैकल्पिक विषयों के साथ अध्ययन की व्यवस्था है।

शिक्षा के साथ–साथ छात्र/छात्राओं के सर्वागीण विकास एवं सर्वसुलभ शिक्षा के उददे्श्य की प्रतिपूर्ति हेतु यह महाविद्यालय प्रतिबद्ध है। सम्पूर्ण अवस्थापना सुविधाओं की प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश शासन से निरन्तर सम्पर्क करते हुए, यह महाविद्यालय स्थापना सत्र से लेकर अद्यतन अपने उददे्श्य की पूर्ति हेतु प्रयासरत है।

महाविद्यालय छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु शिक्षणेत्तर गतिविधियों जैसे–राष्ट्रीय सेवा योजना, एन०सी०सी०, क्रीड़ा, रोवर्स–रेंजर्स तथा उ०प्र० सरकार द्वारा आयोजित होने वाले विविध कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र/छात्राओं की बौद्धिक एवं व्यवहारिक क्षमताओं का विकास कर उन्हे जिम्मेदार नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न विभागीय परिषदों के माध्यम से वाद–विवाद, पोस्टर, निबन्ध लेखन, आशुभाषण आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाता है। महाविद्यालय का परीक्षाफल उत्साहजनक रहा है। महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के ज्ञानार्जन हेतु दैनिक, साहित्यिक, मासिक पत्र–पत्रिकाओं की व्यवस्था है जिससे छात्र/छात्रायें लाभान्वित होते है। फरवरी 2019 में **कैश से कैशलैस की ओर** विषय पर उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मार्च 2023 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विविध आयामों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। भविष्य में इस तरह की संगोष्ठियों के आयोजन हेतु महाविद्यालय प्रयासरत है।

महाविद्यालय निरन्तर विकास पथ पर अग्रसर है तथा अभिभावकों, बुद्धिजीवियों एवं प्रशासन से सहयोग का आकांक्षी है।

बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम प्रथम वर्ष में प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों की सूची

1. हाईस्कूल की अंक तालिका एवं प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2. इण्टरमीडिएट की अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
3. टी.सी. / अंतिम शिक्षण संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल एवं छायाप्रति।
4. एलयूआरएन (LURN) में निबंधन का प्रमाण–पत्र।
5. अनुसूचित जाति (S.C.), अनुसूचित जनजाति (S.T.), पिछड़ा वर्ग (O.B.C.), विकलांगता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
6. खेलकूद / एन.सी.सी. / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक के आश्रित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति (आवश्यकतानुसार)।
7. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें 2022 या इससे पूर्व इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उन्हें नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (निर्धरित प्रपत्र पर) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।.
8. आरक्षण और भारण का लाभ प्राप्त करने की लिए अभ्यार्थी को तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना सम्भव नहीं होगा।
9. विश्वविद्यालय परीक्षाफल के घोषित होने के दस दिन के भीतर अनिवार्य रूप से प्रवेश आवेदन–पत्र पूरित कर प्रवेश लेना होगा।

ऐसे अभ्यार्थी को प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा

1. जो गत वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो।
2. जो अनुचित साधन प्रयोग का दोषी पाया गया हो।
3. जो गत वर्ष परीक्षा में बैठने से रोका गया हो।
4. जो किसी आपराधिक मामले में सजा पा चुके हो या जिस पर कोई अभियोग चल रहा हो तथा जिनका आचरण संदिग्ध हो।
5. जिनका हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने में 3 वर्ष से अधिक का अन्तर रहा हो।
6. जिनका परीक्षाफल अपूर्ण हो अथवा जिन्हें पमरक परीक्षा में सम्मिलित होना हो।
7. किसी भी दशा में अनुत्तीर्ण होने पर पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नही दिया जायेगा। जो छात्र / छात्राऐं प्रथम वर्ष में प्रवेश के उपरान्त किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालयी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाये हो तो उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. महाविद्यालय में विगत वर्ष में अनुशासनहीनता के आरोपी छात्र / छात्राओं को प्रवेश दिया जाना सम्भव नहीं है।
9. प्रवेश सम्बन्धी किसी भी सूचना के असत्य पाये जाने पर अभ्यार्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

प्रवेश प्रक्रिया

स्वीकृत सीट संख्या

बी.ए. (NEP) प्रथम वर्ष– 420 सीट

बी.एस.सी. (NEP) प्रथम वर्ष– 120 (60 सीट जीव विज्ञान वर्ग तथा 60 सीट गणित वर्ग)

बी.काम. (NEP) प्रथम वर्ष– 60 सीट

शासन / महाविद्यालय के निर्देशानुसार सीट संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

बी.एस.सी. में प्रवेश (कृषि) से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अर्ह नहीं हैं।

प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता-

बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट परीक्षा में न्यून्तम 40 प्रतिशत से अधिक अंक होना अनिवार्य है, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हेतु निर्धारित न्यून्तम अंकों में नियमानुसार छूट दी जायेगी। बी.एस.सी. में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट में बायोलोजी. / मैथ समूह होना आवश्यक है।

प्रवेश पूर्णतया मेरिट के आधार पर होगा।

मेरिट सम्बन्धी आधार-

महाविद्यालय में प्रवेश पूर्णतया श्रेष्ठताक्रम (मेरिट) के आधार पर होगा। ऐसे अभ्यार्थी जिनका इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त गैप होगा, के प्रति वर्ष का प्राप्तांक में 02 प्रतिशत अंक कम करके मेरिट निर्धारित होगी।

यदि कई अभ्यथियों के इण्टरमीडिएट का प्राप्तांक एक बराबर होगा तो उनके हाईस्कूल के प्राप्तांक के आधार पर श्रेष्ठताक्रम का निर्धारण होगा।

प्रवेश सम्बन्धी नियम-

1. विश्वविद्यालय / शासन तथा महाविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत मेरिट के आधार पर प्रवेश लिये जायेंगे।
2. आवेदन–पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र के अभाव में अपूर्ण आवेदन–पत्रों पर प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
3. प्रवेश एवं महाविद्यालय की गतिविधियों से सम्बन्धित समस्त सूचनायें सूचनापट्ट (नोटिसबोर्ड) पर प्रदर्शित की जायेंगी। समय से प्रवेश सम्बन्धी सूचना प्राप्त करना प्रवेशार्थी का स्वयं का उत्तरदायित्व होगा।
4. यदि कोई अभ्यर्थी कॉउन्सलिंग के लिए निर्धारित तिथि व समय पर अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके प्रवेश पर बारा विचार करना सम्भव नहीं होगा।
5. श्रेष्ठता सूची एवं प्रवेश सम्बन्धी समस्त निर्णयों में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।
6. प्रवेश सम्बन्धी किसी भी प्रकार की सूचना महाविद्यालय की वैबसाइट (http://mgdcmahona.in) पर देखा जा सकता है।

साक्षात्कार सम्बन्धी निर्देश

प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में नाम आने के बाद निर्धरित तिथि पर प्रवेश समिति के समक्ष समस्त मूल प्रमाण–पत्रों के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है।

साक्षात्कार (कॉउन्सलिंग) के समय अनुपस्थित पाये जाने वाले अभ्यर्थी के स्थान को रिक्त मानकर मेरिट में उससे कम अंक वाले अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा। अनुपस्थित अभ्यर्थी के बाद में उपस्थित होने पर उसका दावा मान्य नहीं होगा।

साक्षात्कार के समय टी.सी. अथवा केन्द्र प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति प्रवेश समिति के पास जमा करना अनिवार्य है। बिना टी.सी. एवं चरित्र प्रमाण–पत्र के प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रवेश संस्तुत होने के बाद शुल्क ऑनलाइन जमा होगा। इसके उपरान्त रसीद दिखाकर मुख्य शास्ता से परिचय–पत्र एवं पुस्तकालयाध्यक्ष से पुस्तकालय कार्ड बनवाना भी अनिवार्य है। प्रवेश के पश्चात् अपने विषय से सम्बन्धित कक्षा में उपस्थित न होने व 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

वैकल्पिक विषय–

(<u>**कला वर्ग**</u>) हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र एवं भूगोल। बी.ए. प्रथमवर्ष में तीन वैकल्पिक विषयों का चयन करना होगा। (दो विषय मेजर और एक विषय माईनर)

(<u>**विज्ञान वर्ग**</u>) – समूह 01– रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान (ZBC)

समूह 02– रसायन विज्ञान, भैतिक विज्ञान तथा गणित (PCM)

(<u>**वाणिज्य वर्ग**</u>)– बी.काम प्रथम वर्ष में A,B,C, तीन ग्रुप प्रत्येक में दो अनिवार्य प्रश्न पत्र।

बी.काम द्वितीय वर्ष में A,B,C तीन ग्रुप अनिवार्य वैकल्पिक प्रश्न पत्र।

<u>**बी.ए. हेतु निम्न विषयों में से केवल तीन विषय का ही चयन करना होगा।**</u>

1. हिन्दी, 2. समाजशास्त्र, 3. इतिहास, 4, दर्शनशास्त्र

5. मनाविज्ञान 6. भूगोल 7. अंग्रेजी

पाठ्यक्रम– पाठ्यक्रम में उ.प्र. शासन/लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा किया गया परिवर्तन मान्य होगा।

1. वैकल्पिक विषयों का आवंटन रिक्तता के आधार पर होगा। श्रेष्ठताक्रम में निचले स्थान पर प्रवेश लेने वाले अभ्यार्थी को वही विषय दिये जायेंगे जिनमें स्थान रिक्त होंगे।

2. विषय निर्धारण में सीट की उपलब्धता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के नियमों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जायेगा।

प्रवेश के पश्चात विषय परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

3. बी.ए. तृतीय वर्ष में केवल एक साहित्यिक विषय का चयन किया जा सकता है।

4. कक्षाओं में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा फार्म भरने से वंचित किया जा सकता है।

नोट– उपरोक्त नियमों में शासन या विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

भारण एवं आरक्षण के लिए प्रमाण–पत्र निम्नलिखित सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।

	वर्ग	सक्षम अधिकारी	प्रतिशत / भारांक
1,	उत्कृष्ट खिलाड़ी या गाइड / रेंजर (पिछले 03 वर्ष में)	शिक्षा अधिकारी, क्रीड़ाअधिकारी या आयेजक संस्था के अधिकारी या लखनऊ विश्वविद्यालय एथलेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष या प्रधनाचार्य प्रतिहस्ताक्षर।	3 प्रति . भारांक
2.	विकलांग	जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी	3 प्रति . क्षैतिज
3.	स्वतंत्रता सेनानी के वास्तविक आश्रित पुत्री / पुत्र	जिलाधिकारी	2 प्रति . क्षैतिज
4.	सांस्कृतिक / पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों में पिछले 03 वर्षों में विशेष उपलब्धि।	शिक्षा अधिकारी, आयेजक संस्था के अधिकारी	3 प्रति . भारांक
5.	एन.सी.सी.–बी./सी. प्रमाण–पत्र	सम्बन्धित यूनिट / बटालियन के समादेश अधिकारी	3 प्रति . भारांक
6.	अनु.जाति / जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति / वर्ग	जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार	अनु. जाति / जनजाति 21+2% पिछड़ी जाति 27%
7.	क्षेत्रीय युवा समारोह में विगत 3 वर्षों में विशेष उपलब्धि	जिला अथवा क्षेत्रीय अधिकारी / आयोजक या संचालक	3 प्रतिशत
8.	विधवा या परित्यक्ता	कानूनी / अधिकृत अधिकारी / अभिलेख	1 प्रति . क्षैतिज
9.	शहीद या प्रतिरक्षा कार्य में अपंग हुए सेवामुक्त कर्मी की पुत्री / पत्नी / बहन	सोल्जर्स बोर्ड / सक्षम सैन्य अधिकारी या अभिलेख	2 प्रति . क्षैतिज

निम्नलिखित श्रेणी के खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार भारण (Weightage) देय होगा

ऐसे खिलाड़ी जिन्होने जनपद में चयन के पश्चात् टीम की ओर से अन्तर्राष्ट्रीयप्रतियोगिता में पिछले दो वर्षों में भाग लिया हो। डी.आई.ओ.एस./आर.आई.जी.एस./डी.डी.ओ. द्वारा दिये गये मूल प्रमाण–पत्र ही केवल मान्य होंगे।

अथवा

ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने उत्तर प्रदेश का पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय अथवा प्रदेशीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व किया हो तथा प्रतियोगिताएं अधिकारिक मान्यता प्राप्त प्रदेशीय खेलकूद संस्थाओं द्वारा आयोजित की गई हों। इन प्रतियोगिताओं के आयोजकों अथवा राजकीय संस्थाओं द्वारा दियं गये मूल प्रमाण–पत्र ही केवल मान्य होंगे।

नोट– कुल वरीयता अंकों (भारण) का योग 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

शुल्क में शासन या विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी मद में बाद में शुल्क परिवर्तन किया जा सकता है।

तद्नुसार परिवर्तित शुल्क की धनराशि का भुगतान अलग से करना होगा।

विश्वविद्यालय नामांकन एवं परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन–पत्र भरने की तिथि निर्धारित होने पर महाविद्यालय के सूचनापट्ट पर तत्सम्बन्धी सूचना प्रदर्शित की जायेगी। निर्धरित तिथि पर परीक्षा आवेदन–पत्र भरने का दायित्व स्वं छात्र/छात्रा का होगा।

परिचय–पत्र–

प्रत्येक छात्र/छात्रा को महाविद्यालय का परिचय–पत्र रखना अनिवार्य है। प्रवेश के उपरान्त महाविद्यालय द्वारा छात्र/छात्रा को परिचय–पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। परिचय–पत्र पर चीफ प्राक्टर या प्राक्टोरियल बोर्ड के सदस्य का हस्ताक्षर अनिवार्य है। यदि किसी विद्यार्थी का परिचय–पत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो उसं दूसरा परिचय–पत्र चीफ प्राक्टर की अनुमति से निर्धारित शुल्क जमा करने पर निर्गत किया जायेगा। प्रवेश के एक सप्ताह के अन्दर परिचय–पत्र बनवाना अनिवार्य है।

छात्र/छात्रा हेतु गणवेश (कालेज यूनिफार्म) का प्रावधान–

प्रत्येक छात्र/छात्रा को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित यूनिफार्ममें आना अनिवार्य है। बिना यूनीफार्म के महाविद्यालय में प्रवेश अनुशासनहीनता मानी जायेगी।

उपस्थिति–

सम्बन्धित विषय की कक्षाओं में छात्र/छात्राओं की उपस्थिति आवश्यक है। सत्र के अन्त तक प्रत्येक विद्यार्थी की कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। इससे कम उपस्थिति होने पर छात्र/छात्रा को परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका जा सकता है।

अस्थायी चरित्र प्रमाण–पत्र–

किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा सेवायोजन (नौकरी) के लिए अस्थायी चरित्र प्रमाण–पत्र के लिए केवल वही अभ्यर्थी अर्ह होगा जिसने महाविद्यालय में न्यूनतम छः माह तक अध्ययन कर लिया हो।

अनुशासन सम्बन्धी नियम–

छात्र/छात्राओं में अनुशासन के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में प्राक्टोरियल बोर्ड को गठन किया गया है। महाविद्यालय की अनुशासन व्यवस्था तोड़ने पर छात्र/छात्राओं को दण्डित करने का पूर्ण अधिकार अनुशासन समिति को प्राप्त है। महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक अनुशासन समिति के सदस्य हैं। अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने में वरिष्ठ छात्र/छात्राओं की एक समिति गठित कर उनका सहयोग भी लिया जाता है। प्रत्येक छात्र/छात्रा को अनुशासन सम्बन्धी निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है–

1- महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र/छात्रा को परिचय–पत्र लाना अनिवार्य है।

2- अपने साथ किसी भी बाहरी व्यक्ति को महाविद्यालय परिसर में लाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। यदि कोई किसी दूसरे छात्र/छात्रा के लिए प्रवेश कराने, प्रवेश–पत्र लेने या परीक्षा आवेदन–पत्र भरवाने के लिए दबाव बनाता है तो यह भी अनुशासनहीनता है।

3- कक्षाओं में मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।

4- पान मसाला, गुटखा या अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन करते पाए जाने पद छात्र/छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5- रैगिंग संज्ञेय अपराध है। महाविद्यालय परिसर में यदि कोई छात्र/छात्रा रैगिंग करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर उसे महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।

6- यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित योग्यता एवं तथ्यों को छिपाकर प्रवेश लेता है तो तथ्य उद्घाटित होने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

7- महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के प्रति अशिष्ट व्यवहार करना, अपनी किसी बात को मनवाने के लिए सहपाठियों एवं छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय प्रशासन के विरूद्ध भड़काना, प्रदर्शन एवं आन्दोलन करना अनुशासनहीनता है, ऐसे में छात्र/छात्रा के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

8- लेक्चर रूम की गैलरी में झुण्ड बनाकर खड़े होना एवं जोर–जोर से बाते करना भी अनुशासनहीनता मानी जायेगी।

9- अपनी मोटर साइकिल/साइकिल आदि को निर्धारित स्थान पर खड़ा करें। अन्य जगह पर वाहन खड़ा करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी।

10- प्रथम तल पर बनी रेलिंग पर बैठना अनुशासनहीनता है, इसके लिए छात्र/छात्राओं को निष्कासित किया जा सकता है।

11- यदि कोई भी छात्र/छात्रा अनुशासन सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके स्कॉलर रिकार्ड एवं महाविद्यालय द्वारा दिए जाने वाले चरित्र प्रमाण–पत्र में प्रविष्टि अंकित की जायेगी।

पुस्तकालय एवं वाचनालय सम्बन्धी व्यवस्था –

महाविद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था है, छात्र/छात्राएं प्रवेश के पश्चात् लाइब्रेरी कार्ड बनवायें, जिससे उन्हें पुस्तकें निर्गत की जा सके। वाचनालय में दैनिक समाचार–पत्र एवं मासिक, त्रैमासिक पत्रिकाएं मंगायी जाती है, जिसे छात्र/छात्राएं पुस्तकालय में ही बैठकर पढ़ सकते है।

पुस्तकालय सम्बन्धी अन्य नियम–

- प्रत्येक छात्र/छात्रा को एक समय में अधिकतम दो पुस्तकें 15 दिनों के लिए निर्गत की जायेगी। पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
- परीक्षा के दिनों में छात्र/छात्राओं को पुस्तके नहीं निर्गत की जायेगी।
- पुस्तकालय से प्राप्त पुस्तकों को जमा करने के उपरान्त ही प्रवेश–पत्र निर्गत किया जायेगा। वाचनालय में बैठकर बातचीत करना, मोबाइल का प्रयोग करना, गाना सुनना पूर्णतः वर्जित है। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ एवं छात्र कल्याण सम्बन्धी योजनाएँ–

महाविद्यालय छात्र/छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस हेतु महाविद्यालय में निम्नांकित सुविधाएँ उपलब्ध है–

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)–

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई चेतना नाम से संचालित है। जिसके अन्तर्गत 100 छात्र/छात्राओं का पंजीकरण किया जाता है। पंजीकरण शुल्क की धनराशि रू0 10/– मात्र है। पंजीकृत अभ्यर्थी को 2 वर्षों तक स्वयं सेवी के रूप में निरन्तर कार्य करने पर राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है। एक वर्ष के पश्चात् रू. 10/– पंजीकरण शुल्क देकर दुबारा नवीनीकरण कराना होता है। यदि कोई अभ्यर्थी दूसरे सत्र में पंजीकरण आवेदन–पत्र नहीं भरता है तो वह राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु अधिकृत नहीं होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना क अन्तर्गत पंजीकृत स्वंय सेवियों के लिए नियमित दैनिक कार्यक्रम के साथ–साथ सात दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसके द्वारा जनजागरूकता सम्बन्धी कार्य कराये जाते है। स्नात्कोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु एन.एस.एस. प्रमाण–पत्र धारक को वेटेज प्रदान किया जाता है। इच्छुक छात्र/छात्राओं को कार्यक्रम अधिकारी से सम्पर्क करना अपेक्षित है।

(विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के शुल्क की धनराशि में परिवर्तन सम्भव है)

रोवर्स / रेंजर्स–

भारत सरकार स्काउट गाइड कार्यालय में महाविद्यालय की रोवर्स / रेंजर्स इकाई का गठन कर तत्संबंधी पंजीकरण कराया जाता है। इसके अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के लिए पॉच दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त छात्र / छात्राओं को कतिपय पाठ्यक्रमों में वेटेज अंक प्रदान किये जाने के साथ–साथ विभिन्न सरकारी नौकरियों में वेटेज एवं आरक्षण प्राप्त होता है।

क्रीड़ा–

महाविद्यालय में द्वि–दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें छात्र / छात्राऐं अपनी क्षमता एवं रूचि के अनुरूप विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते है, विजयी छात्र / छात्राओं को वार्षिक समारोह में पुरस्कृत किया जाता है।

महाविद्यालय पत्रिका–

छात्र / छात्राओं की सुजनात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका 'शब्दिता' का प्रकाशन कराया जाता है। इसमें छात्र / छात्राओं द्वारा स्वरचित लेख, कहानी, कविता, सूक्तियों आदि का समावेश होता है। संपादक मण्डक केवल उन्हीं रचनाओं को पत्रिका में प्रकाशनार्थ सम्मिलित करते है जो प्रकाशन योग्य पाई जाती है।

एन.सी.सी. की महिला इकाई संचालित है।

छात्रवृत्ति–

शासन / समाजकल्याण / पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। तत्सम्बन्धी सूचना नोटिस बोर्ड पर यथासमय प्रदर्शित की जाती है। अनुशासनहीनता एवं अशिष्ट व्यवहार तथा 75 प्रतिशत से कम उपस्थित वाले छात्र / छात्राओं का नाम छत्रवृत्ति हेतु संस्तुत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

विभागीय परिषद–

महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक विषय से मेधावी छात्र / छात्राओं को चुनकर विषय प्रभारी की अध्यक्षता में विभागीय परिषदों का गठन किया जाता है। इसके अन्तर्गत छात्र / छात्राओं के वौद्धिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु समय–समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं यथा–वाद–विवाद, निबन्ध लेखन कहानी लेखन, आशु भाषण, काव्य पाठ, क्विज, पोस्टर, कोलॉज, रंगोली, स्लोगन राइटिंग, प्रसार व्याख्यान माला आदि का आयोजन किया जाता है।

उक्त प्रतिभागियों में विजयी प्रतिभागियों को वार्षिक समारोह में पुरस्कृत किया जाता है।

महाविद्यालय के प्राध्यापकों के निर्देशन में छात्र / छात्राओं को अर्न्तमहाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। प्रतिभाग करने वाले छात्र / छात्राऐं पुरस्कृत होकर महाविद्याय की गरिमा में वृद्धि करते है।

महाविद्यालय की समितियाँ–

महाविद्यालय के कार्यों के सुचारु संचालन एवं छात्र/छात्राओं के बहुमुखी विकास तथा उनकी समस्याओं के निवारणार्थ परामर्श करने हेतु महाविद्यालय में निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है–

1. छात्र कल्याण एवं समस्या समाधान प्रकोष्ठ
2. महाविद्यालय परिसर विकास समिति
3. दक्षता प्रकोष्ठ
4. पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता प्रकोष्ठ
5. सामुदायिक जागरूकता एवं विकास प्रकोष्ठ
6. प्राध्यापक/अभिभावक/साहचर्य समिति
7. आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
8. महिला कल्याण परिषद

9–महिला छात्र/छात्रा उत्पीड़न निवारण समिति

10 –शुल्क निर्धारण समिति

11 –सांस्कृतिक क्रिया कलाप समिति

12 –सेवायोजन हेतु परामर्शदात्री समिति

13 – शोध प्रोत्साहन समिति

14 –पुरातन छात्र परिषद

15 –सेमिनार आयोजन समिति

16 –I.Q.A.C

अन्तराल वर्ष (गैप इयर) हेतु शपथ–पत्र का प्रारूप

(10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

1. मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... पता ....

. ... जो आपके महाविद्यालय (महामाया राजकीय महाविद्यालय, महोना लखनऊ) में कक्षा .... में प्रवेश लेना चाहता हूँ/चाहती हूँ।

2. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि मैंने इण्टर समकक्ष परीक्षा सत्र .... में उत्तीर्ण की है इसके बाद सत्र....................... से सत्र .... तक मैंने किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश नहीं किया है। मैं इस अन्तराल में .... कारण/कारणों से प्रवेश नहीं ले सका था/सकी थी।

3. यदि मेरा उक्त बयान/घोषणा असत्य किसी अंश तक मिथ्या पायी जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाये। मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वतन्त्र होगा।

4. उक्त शपथ पूर्वक बयान के लिए ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थानः

तिथिः

प्रार्थी/अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्रार्थी का नाम..

पिता का नाम ....

पता ....

मो. नं. ....

महाविद्यालय परिवार

प्रो० शहला नुसरत किदवई, प्राचार्य

	कला संकाय	
१.	समाजशास्त्र विभाग	प्रो० बिनय कुमार सिंह, प्रोफेसर
२.	इतिहास विभाग	प्रो० कीर्ति कुमार सिंह, प्रोफेसर
३.	हिन्दी विभाग	प्रो० अखण्ड प्रताप सिंह, प्रोफेसर
४.	दर्शनशास्त्र विभाग	डॉ० जितेन्द्र यादव, असि० प्रोफेसर
५.	मनोविज्ञान विभाग	डॉ० अनुपम कुमार यादव, असि० प्रोफेसर
६.	भूगोल विभाग	डॉ० जवाहिर लाल, असि० प्रोफेसर
७.	अंग्रेजी विभाग	रिक्त
	वाणिज्य संकाय	
१.	वाणिज्य	डॉ० ममता मधुर, असि० प्रोफेसर डॉ० शालिनी अग्रवाल, असि० प्रोफेसर
	विज्ञान संकाय	
१.	रसायन विज्ञान विभाग	डॉ० अमित कुमार यादव, असि० प्रोफेसर
२.	जन्तुविज्ञान विभाग	डॉ० अबनीश कुमार गौतम, एसो० प्रोफेसर
३.	गणित विभाग	डा० सुरेन्द्र कुमार, असि० प्रोफेसर
४.	भौतिक विज्ञान विभाग	डॉ० शोभना दीक्षित, असि० प्रोफेसर
५.	वनस्पति विज्ञान विभाग	डॉ० प्रीति चंद नेगी, असि० प्रोफेसर
	शिक्षणेत्तर कर्मचारी	
१.	प्रवक्ता पुस्तकालय	श्रीमती दीपिका रावत
२.	प्रधान सहायक	श्री दिनेश पाल
३.	कनिष्ठ सहायक	श्री अतुल प्रिय
४.	परिचर	श्री मदन प्रसाद